



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

### रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक सम्वत्) [संख्या-52

### विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

| विषय                                                                                                                                                                                                    | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...                                                                                                                                                                               | —            | रु0<br>3075   |
| भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...                                                                                                        | 1443—1444    | 1500          |
| भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...                                            | 1651—1657    | 1500          |
| भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...    | —            | 975           |
| भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ... | —            | 975           |
| भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...                                                                                                                                                              | —            | 975           |
| भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...                                                                                                                                                                  | —            | 975           |
| भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटीयों की रिपोर्ट ...                                                                          | —            | 975           |
| भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...                                                                                                                  | —            | 975           |
| भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...                                                                                                                                                          | —            | 975           |
| स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...                                                                                                                                              | —            | 1425          |

## भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## वित्त अनुभाग—6

## विज्ञप्ति/पदोन्नति

29 नवम्बर, 2024 ई0

संख्या—257298/ई संख्या/2024—मा0 लोक सेवा न्यायाधिकरण, नैनीताल में दायर वाद—13/एनबी/डीबी/2022 में पारित आदेश दिनांक 14.08.2023 के समादर में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी संवर्ग से सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी, वेतनमान लेवल—10, रू0 56100—177500, (अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600—39100, ग्रेड पे—5400) में पदोन्नति हेतु दिनांक: 19.11.2024 को आहूत रिव्यू डीपीसी के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या—260/19/ई—1/डीपीसी/लेखा0परी0रि0/2024—25, दिनांक 25.11.2024 द्वारा की गयी संस्तुति के अनुक्रम में श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय को दिनांक: 28.01.2021 से नोशनल रूप से तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय अथवा लोक सेवा अधिकरण में लंबित रिट याचिका संख्या—571/2020 (WPSS) रिट याचिका संख्या—559/2020 (WPSS) एवं रिट याचिका संख्या—114/2020 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

3. उपरोक्तानुसार पदोन्नत श्री पाण्डेय को पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परीक्षावधि पर रखा जाता है।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव।

## गृह अनुभाग—04

## अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2024 ई0

संख्या—871/XX-4/2024-E-26896—राज्यपाल, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम {UA(P)A}—1967 की धारा—15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर थाना बनभूलपुरा, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल में विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम—1967 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु सुश्री नीलम रात्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, हल्द्वानी, नैनीताल को उनके वर्तमान प्रभार के साथ विशेष न्यायालय (Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/556—भाग 1—2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2024 ई० (पौष 07, 1946 शक सम्वत्)

### भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज़ाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

### HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

#### NOTIFICATION

November 13, 2024

No. 414/UHC/Admin.A-2/2024--

1. The Principal Judge, Family Court is the Controlling Authority of Additional Principal Judges in his/her district for all practical purposes such as for countersigning their charge-certificates, for approval of their casual leave, station leave etc. and to forward their correspondence to the High Court.
2. In case vacancy in the office of Principal Judge, Family Court arises or when the Principal Judge, Family Court is unable to discharge his/her functions owing to absence, illness or any other causes, the Additional Principal Judge may exercise the powers of the Principal Judge and in case of absence of Additional Principal Judge (s), Principal Judge, Family Court will discharge their functions.
3. In the event of vacancy in the office of Principal Judge, Family Court, as well as of Additional Principal Judges, Family Court or when both the judges are unable to discharge their functions owing to absence, illness or any other causes; Civil Judge (Senior Division) of the District will discharge their functions and in absence of Civil Judge (Senior Division), the Judicial Officer having powers of the said post will act as the ex-officio Judge of the Family Court.

**This order shall come into force with immediate effect.**

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

KAHKASHA KHAN,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALNOTIFICATION

September  
November 14, 2024

**No. 415/XIV-81/Admin.A/2003--**Ms. Anjushree Juyal, 1<sup>st</sup> Additional District & Sessions Judge, Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 27 days w.e.f. 03.06.2024 to 29.06.2024 with permission to prefix 02.06.2024 and suffix 30.06.2024 as Sunday holidays.

NOTIFICATION

November 14, 2024

**No. 416/XIV-a/51/Admin.A/2012--**Ms. Anita Kumari, the then 1<sup>st</sup> Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun presently posted as 2<sup>nd</sup> Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 12 days w.e.f. 02.09.2024 to 13.09.2024 with permission to prefix 01.09.2024 as Sunday holiday and suffix 14.09.2024 to 16.09.2024 as holidays.

NOTIFICATION

November 14, 2024

**No. 417/XIV-a-49/Admin.A/2020--**Shri Vikas Kumar, Judicial Magistrate, Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 05.08.2024 to 11.08.2024.

NOTIFICATION

November 14, 2024

**No. 418/XIV-a-49/Admin.A/2020--**Shri Vikas Kumar, Judicial Magistrate, Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 05 days w.e.f. 23.08.2024 to 27.08.2024.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

20<sup>th</sup> November, 2024

**No. 419/UHC/Stationery/2024--**High Court of Uttarakhand has been pleased to declare holiday on 20.11.2024 (Wednesday) in the District Judiciary/Outlying Courts falling under the 07- Kedarnath, Legislative Assembly Constituency, District Rudraprayag on account of Legislative Assembly Bye-Election pursuant to the Government Notification no. 1578/xxxi(15)G/24-10(सत0)/2017 dt. 29.10.2024, issued under section 25 of The Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. 26 of 1881).

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

KAHKASHA KHAN,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITALNOTIFICATION

November 20, 2024

**No. 420/UHC/Admin.A-2/2024**--In continuation of earlier notifications pertaining to nominations of Presiding Officers of the virtual traffic Courts under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate e-traffic challan cases and transport department challan cases through virtual electronic platform for the all districts; the Link Officers of respective Courts are nominated as Presiding Officers of the virtual traffic Courts as per the prevailing link roster and Link Officers of these Courts shall preside over the virtual Courts in case of absence of the Presiding Officers (*Virtual Courts*) due to reason such as leave, illness or other unavoidable circumstances.

Link Officers of nominated Presiding Officers of virtual traffic Courts shall have the authority to preside over and adjudicate cases assigned to the virtual traffic Courts of respective districts during the absence of nominated Presiding Officers of virtual traffic Courts.

Above order will come into force with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

KAHKASHA KHAN,

*Registrar General.*

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALNOTIFICATION

November 21, 2024

**No. 421/XIV-a-47/Admin.A/2015**--Shri Dharmendra Shah, the then 5<sup>th</sup> Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun presently posted as 6<sup>th</sup> Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 30.08.2024 to 11.09.2024.

NOTIFICATION

November 21, 2024

**No. 422/XIV-a-30/Admin.A/2020**--Shri Kartikeya Joshi, 3<sup>rd</sup> Additional Civil Judge, (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 22 days w.e.f. 24.07.2024 to 14.08.2024 with permission to suffix 15.08.2024 as Independence Day.

NOTIFICATION

November 21, 2024

**No. 423/XIV-a-34/Admin.A/2020**--Shri Vinit Kumar Srivastava, Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 16.08.2024 to 30.08.2024.

**NOTIFICATION**November 21<sup>st</sup>, 2024

**No. 424/XIV-a-34/Admin.A/2020--Shri Vinit Kumar Srivastava, Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 25.07.2024 to 07.08.2024.**

**NOTIFICATION**

November 27, 2024

**No. 425/XIV-88/Admin.A/2003--Shri Nasim Ahmad, Additional District & Sessions Judge, Tehri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 22.08.2024 to 04.09.2024.**

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

**निदेशालय, लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड****कार्यालय आदेश**

29 नवम्बर, 2024 ई०

पत्रांक-72/एक-3(22)/अधि०/नि०ले०प०ऑ०/2024-25-मा० लोक सेवा न्यायाधिकरण, नैनीताल में दायर वाद-13/एनबी/डीबी/2022 में पारित आदेश दिनांक 14.08.2023 के समादर में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी संवर्ग में सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी, वेतनमान लेवल-10, रू० 56100-177500, (अपुनरीक्षित वेतनमान रू 15600-39100, ग्रेड पे-5400) में पदोन्नति हेतु दिनांक 19.11.2024 को आहूत रिव्यू डीपीसी के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-260/19/ई-1/डीपीसी/लेखा०परी०रि०/2024-25, दिनांक 25.11.2024 द्वारा की संस्तुति के अनुक्रम में श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय को दिनांक 28.01.2021 से नोशनल रूप से तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उक्त पदोन्नति मा० उच्चतम/उच्च न्यायालय अथवा लोक सेवा अधिकरण में लंबित रिट याचिका संख्या-571/2020 (WPSS) रिट याचिका संख्या-559/2020 (WPSS) एवं रिट याचिका संख्या-114/2020 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

3-उपरोक्तानुसार पदोन्नत श्री पाण्डेय को पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षावधि पर रखा गया है।

आज्ञा से,

विनोद कुमार सुमन,

निदेशक।

## निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड

## अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2024 ई0

संख्या-2389/ग्रा.पं./पुनर्गठन-परिसीमन, 2024-शहरी विकास अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-236773/IV(3)/2024-07(घो0)/2011, दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के क्रम में पंचायतीराज अनुभाग-एक, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-249201/XII(1)/2024/E-68985, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के दृष्टिगत जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी की ग्राम पंचायत-पाटी एवं जौलाड़ी को नगर पंचायत पाटी में विलीन करने के कारण एवं वर्तमान प्रक्रिया अन्तर्गत पंचायत से अस्तित्व समाप्त होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-3 एवं धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा शासन की अधिसूचना संख्या-912/XII/2017-86(20) 2017, दिनांक 09 जून, 2017 एवं अधिसूचना संख्या-913/XII/2017-86 (20)2017, दिनांक 09 जून, 2017 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निधि यादव, निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, जनपद चम्पावत की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित गजट संख्या-1620, दिनांक 27 सितम्बर, 2024 में तद्आशय का आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ-1, 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित गजट क्रमांक, राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र को तदनुसार स्तम्भ-5, 6, 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट गजट क्रमांक, राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र में विलुप्त/सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करती हूँ। यह संशोधन जिलाधिकारी, चम्पावत के प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

| क्षेत्र पंचायत का नाम-पाटी |                     |                  |                       | जनपद का नाम- चम्पावत                                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |                       |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| वर्तमान स्थिति             |                     |                  |                       | संशोधित स्थिति                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |                       |
| गजट क्रमांक                | राजस्व ग्राम का नाम | ग्राम सभा का नाम | पंचायत क्षेत्र का नाम | गजट क्रमांक                                                                                                                                                                                                                           | राजस्व ग्राम का नाम | ग्राम सभा का नाम | पंचायत क्षेत्र का नाम |
| 1                          | 2                   | 3                | 4                     | 5                                                                                                                                                                                                                                     | 6                   | 7                | 8                     |
| 32                         | 1.जौलाड़ी           | जौलाड़ी          | जौलाड़ी               | शहरी विकास अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-236773/IV(3)/2024-07(घो0)/2011, दिनांक 20 सितम्बर, 2024 द्वारा जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी की ग्राम पंचायत-पाटी एवं जौलाड़ी का नगर पंचायत पाटी में विलीन किया जा चुका है। |                     |                  |                       |
| 49                         | 1.पाटी              | पाटी             | पाटी                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |                       |

## अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2024 ई0

संख्या-2390/ग्रा.पं./पुनर्गठन-परिसीमन, 2024-शहरी विकास अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1029/(2)IV(3)/2024-1(3 न.नि.)/2023, दिनांक 14 अगस्त, 2024, अधिसूचना संख्या-1153/IV(3)/2024-11(2 निर्वा.)/2023, दिनांक 03 सितम्बर, 2024, एवं राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-715/XVIII(1)/2023, दिनांक-25 अक्टूबर, 2023 के क्रम में पंचायतीराज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-249201/XII(1)/2024/E-68985, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के दृष्टिगत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत चोरपानी, शिवलालपुर पाण्डे,

शिवलालपुर रियुनियां, गौजानी एवं कानियाँ नगर पालिका परिषद् रामनगर, नैनीताल में विलीन होने तथा राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक-25 अक्टूबर, 2023 द्वारा जनपद नैनीताल की तहसील रामनगर में स्थित रामनगर वन प्रभाग के कोटा राजि के अन्तर्गत टाँगिया ग्राम "लेटी, चोपड़ा व रामपुर" का पृथक-पृथक राजस्व ग्राम गठित होने व तत्क्रम में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-3 एवं धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा शासन की अधिसूचना संख्या-912/XII/2017-86(20) 2017, दिनांक 09 जून, 2017 एवं अधिसूचना संख्या-913/XII/2017-86(20)2017, दिनांक 09 जून, 2017 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निधि यादव, निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित गजट संख्या-1623, दिनांक 27 सितम्बर, 2024 में तद्आशय का आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ-1, 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित गजट क्रमांक, राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र को तदनुसार स्तम्भ-5, 6, 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट गजट क्रमांक, राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र में विलुप्त/सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करती हूँ। यह संशोधन जिलाधिकारी, नैनीताल के प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

| क्षेत्र पंचायत का नाम-रामनगर |                       |                  |                       | जनपद का नाम- नैनीताल                                                                   |                                                        |                         |                         |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| वर्तमान स्थिति               |                       |                  |                       | संशोधित स्थिति                                                                         |                                                        |                         |                         |
| गजट क्रमांक                  | राजस्व ग्राम का नाम   | ग्राम सभा का नाम | पंचायत क्षेत्र का नाम | गजट क्रमांक                                                                            | राजस्व ग्राम का नाम                                    | ग्राम सभा का नाम        | पंचायत क्षेत्र का नाम   |
| 1                            | 2                     | 3                | 4                     | 5                                                                                      | 6                                                      | 7                       | 8                       |
| 06.                          | 1.कानियाँ             | कानियाँ          | कानियाँ               | नगर पालिका, रामनगर में सम्मिलित।                                                       |                                                        |                         |                         |
|                              | 2.धरमपुर नफनिया       |                  |                       | गजट क्रमांक-43, राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत लछमपुर ठेरी के अन्तर्गत क्रमांक-6 में शामिल। |                                                        |                         |                         |
|                              | 3.किशनपुर पाण्डे      |                  |                       | गजट क्रमांक-43, राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत लछमपुर ठेरी के अन्तर्गत क्रमांक-7 में शामिल। |                                                        |                         |                         |
| 12.                          | गौजानी                | गौजानी           | गौजानी                | नगर पालिका, रामनगर में सम्मिलित।                                                       |                                                        |                         |                         |
| 17.                          | चोरपानी               | चोरपानी          | चोरपानी               | नगर पालिका, रामनगर में सम्मिलित।                                                       |                                                        |                         |                         |
| 35.                          | पाटकोट                | पाटकोट           | पाटकोट                | 32                                                                                     | 1.पाटकोट<br>2. रामपुर (रामपुर नवीन राजस्व ग्राम घोषित) | पाटकोट                  | पाटकोट                  |
| 46.                          | 1.लछमपुर ठेरी         | लछमपुर ठेरी      | लछमपुर ठेरी           | 43                                                                                     | 1.लछमपुर ठेरी                                          | लछमपुर ठेरी (पुनर्गठित) | लछमपुर ठेरी (पुनर्गठित) |
|                              | 2.लालपुर बासीटीला     |                  |                       |                                                                                        | 2.लालपुर बासीटीला                                      |                         |                         |
|                              | 3.मनोरथपुर बासीटीला   |                  |                       |                                                                                        | 3.मनोरथपुर बासीटीला                                    |                         |                         |
|                              | 4.उम्मेदपुर           |                  |                       |                                                                                        | 4.उम्मेदपुर                                            |                         |                         |
|                              | 5.मोतीपुरनेगी         |                  |                       |                                                                                        | 5.मोतीपुरनेगी                                          |                         |                         |
|                              | —                     |                  |                       |                                                                                        | 6.धरमपुर नफनिया                                        |                         |                         |
|                              | —                     |                  |                       |                                                                                        | 7.किशनपुर पाण्डे                                       |                         |                         |
| 47.                          | 1.शिवलालपुर पाण्डे    | शिवलालपुर पाण्डे | शिवलालपुर पाण्डे      | नगर पालिका, रामनगर में सम्मिलित।                                                       |                                                        |                         |                         |
|                              | 2.शिवलालपुर रियुनियां |                  |                       |                                                                                        |                                                        |                         |                         |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5   | 6                                        | 7                  | 8                  |
|---|---|---|---|-----|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|   | — | — | — | 50. | 1.चोपड़ा<br>(नवीन राजस्व<br>ग्राम घोषित) | चोपड़ा<br>(नवगठित) | चोपड़ा<br>(नवगठित) |
|   | — | — | — |     | 2.लेटी<br>(नवीन राजस्व<br>ग्राम घोषित)   |                    |                    |

### अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2024 ई0

संख्या-2391/ग्रा.पं./पुनर्गठन-परिसीमन, 2024-शहरी विकास अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1152/IV(3)/2024-04 (घो0)/2015, दिनांक 03 सितम्बर, 2024 के क्रम में पंचायतीराज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-249201/XII(1)/2024/E-68985, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के दृष्टिगत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की ग्राम पंचायत सेमी ग्वाड़ का नगर पालिका परिषद् कर्णप्रयाग से पृथक होकर पुनः ग्राम पंचायत के रूप में अस्तित्व में आने के कारण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-3 एवं धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा शासन की अधिसूचना संख्या-912/XII/2017-86(20) 2017, दिनांक 09 जून, 2017 एवं अधिसूचना संख्या-913/XII/2017-86 (20)2017, दिनांक 09 जून, 2017 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निधि यादव, निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, जनपद चमोली की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित गजट संख्या-1613, दिनांक 27 सितम्बर, 2024 में उक्त आशय का आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ-1, 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित गजट क्रमांक, राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र को तदनुसार स्तम्भ-5, 6, 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट गजट क्रमांक, राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करती हूँ। यह संशोधन जिलाधिकारी, चमोली के प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

| क्षेत्र पंचायत का नाम-पोखरी |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                          | जनपद का नाम- चमोली |                                    |                         |                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| वर्तमान स्थिति              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                          | संशोधित स्थिति     |                                    |                         |                          |
| गजट<br>क्रमांक              | राजस्व ग्राम<br>का नाम                                                                                                                                                                                                                                                           | ग्राम सभा का<br>नाम | पंचायत क्षेत्र<br>का नाम | गजट<br>क्रमांक     | राजस्व ग्राम<br>का नाम             | ग्राम सभा का नाम        | पंचायत क्षेत्र<br>का नाम |
| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4                        | 5                  | 6                                  | 7                       | 8                        |
| 73                          | शहरी विकास अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1152/IV(3)/2024-04 (घो0) / 2015, दिनांक 03.09.2024 द्वारा नगर पालिका परिषद्, कर्णप्रयाग, जनपद चमोली अन्तर्गत सेमी-ग्वाड़ का सम्पूर्ण क्षेत्र संबंधित (पूर्व सम्मिलित) जो पालिका का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा। |                     |                          | 73                 | 1.सेमी ग्वाड़<br>2.मैठाणा लगा सेमी | सेमी ग्वाड़<br>(नवगठित) | सेमी ग्वाड़              |

निधि यादव,

निदेशक,

पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।